न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पन्ना लाल बनाम प्रेम व अन्य

Online No. 2022/516

धारा 111–128 एल0आर0ए मुकदमा 359/2022

07.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 359/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री पन्ना लाल पुत्र श्री देबी लाल बलाई जाति बलाई निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा–राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रेम पुत्री श्री छीतर बलाई जाति बलाई
2. चांदी देवी पुत्री श्री छीतर बलाई, जाति बलाई
3. धनराज पुत्री श्री छीतर बलाई, जाति बलाई
4. भैरू लाल पुत्र श्री छीतर बलाई, जाति बलाई
5. रामू देवी पत्नी श्री छीतर बलाई, जाति बलाई
6. सुगना पुत्री श्री छीतर बलाई, जाति बलाई
7. सुरेश पुत्र श्री छीतर बलाई, जाति बलाई
8. श्रीमती जमनी पुत्री हजारी बलाई, जाति बलाई
9. बक्षु पुत्र श्री हजारी बलाई, जाति बलाई
10. रामू पुत्री श्री छीतर बलाई, जाति बलाई
11. सरजू पुत्री श्री देबी लाल बलाई, जाति बलाई

निवासीयान सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा–राज0

12. श्रीमती मंजू पत्नी श्री रतन लाल वीरवाल, जाति बलाई निवासी आर सी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा
13. श्रीमती कंकू पत्नी श्री जस्सा बलाई, जाति बलाई निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
14. रामू पुत्री श्री जस्सा बलाई, जाति बलाई निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
15. शंकर पुत्र श्री जस्सा बलाई, जाति बलाई निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
16. उदय लाल पुत्र श्री नन्द लाल बलाई, जाति बलाई निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
17. रूपा पुत्र श्री खेमा बलाई, जाति बलाई निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
18. अन्जू पत्नी श्री अनिल शर्मा, निवासी शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा
19. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सुन्दर लाल, निवासी आर सी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा
20. मोहम्मद तनवीर हैदर पुत्र श्री मोहम्मद रफीक, जाति अंसारी निवासी गुल अली नगरी, भीलवाड़ा
21. श्रीमती मीना पत्नी श्री किशोरी लाल वर्मा, निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा
22. मोहम्मद तोकीर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद रफीक, जाति अंसारी निवासी गुल अली नगरी, भीलवाड़ा
23. मोहम्मद तोफिर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद रफीक जाति अंसारी निवासी गुल अली नगरी, भीलवाड़ा
24. श्रीमती सरला पत्नी श्री राकेश कुमार वर्मा, निवासी आसीन्द जिला भीलवाड़ा
25. जमना पुत्र श्री दयाराम बलाई निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
26. रामेश्वर पुत्र श्री घीसा जाट, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
27. श्रीमती सजनी पत्नी श्री बालू बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
28. इन्द्रा पुत्री श्री बद्री लाल बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
29. जगदीश पुत्र श्री बद्री लाल बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
30. पप्पू पुत्र श्री बद्री बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
31. सीता पुत्री श्री बद्री बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
32. नारायण पुत्र श्री नोला बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
33. गोपाल पुत्र श्री नन्दा बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
34. श्रीमती चन्दरी पत्नी श्री भैरू लाल गाडरी, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
35. चांदी पत्नी श्री जगदीश बलाई, निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
36. जेतु पुत्री श्री देबी लाल गाडरी, निवासी अगरपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
37. पन्ना पुत्र श्री उदा गाडरी,
38. बक्षु पुत्र श्री उरजन गाडरी,
39. भगवान पुत्र श्री देबी लाल गाडरी,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

40. भैरू पुत्र श्री छोगा गाडरी,
41. श्रीमती मोहनी पत्नी श्री होकम गाडरी,
42. सुखदेव पुत्र श्री उरजन गाडरी,
43. होकम पुत्र श्री छोगा गाडरी
44. उरजा पुत्र श्री भागीरथ बलाई,
निवासीयान सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा–राज0
45. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

दिनांक 04.10.2022

उपस्थित–1– रामेश्वरलाल जाट– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 61 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नं. 39/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी नं. 13/3 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी नं. 41/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नं. 33 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी नं. 4398/643 रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 पटवार हल्का सुवाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 61 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नं. 39/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी नं. 13/3 रकबा 0. 3920 हैक्टेयर, आराजी नं. 41/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नं. 33 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी नं. 4398/643 रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का सुवाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 61 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नं. 39/1 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी नं. 13/3 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, आराजी नं. 41/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नं. 33 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, आराजी नं. 4398/643 रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 300/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक सुवाणा 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की

उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सुवाणा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा